स.17-31/2016-जीडीएस (पार्ट-I)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दिनांक: 04.09.2024

सेवा में,

सभी सर्कलों के प्रमुख,

विषय: वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर जीडीएस अभ्यर्थियों से एमटीएस के पदों को भरने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 02.09.2023 को जारी पत्र सं. 17-31/2016-जीडीएस (पार्ट -I) दिनांक 02.09.2024 का संदर्भ लें।

2. इस विषय में मुझे दिनांक 02.09.2023 के उक्त पत्र की हिंदी अनुवादित प्रति अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। पत्र का हिंदी संस्करण सभी संबंधितों के बीच प्रसारित किया जा सकता है।

भवदीय,

Signed by Ravi Pahwa
Date: 04-09-2024 13:13:42

(रवि पाहवा)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी/पीएपी)
दूरभाष. नंबर 011-23096629
ईमेल:- adggds426@gmail.com

17-31/2016-जीडीएस (पार्ट-I)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दिनांक: 02.09.2024

सेवा में,

सभी सर्कलों के प्रमुख,

विषय: वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर जीडीएस अभ्यर्थियों से एमटीएस के पदों को भरने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 15.07.2021 के का.ज्ञा. का संदर्भ लें, जिसके तहत जीडीएस के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उक्त दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि

"यदि किसी जीडीएस कार्मिक का स्थानांतरण उसके अपने अनुरोध पर हो तथा इस स्थानांतरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, तब स्थानांतरित किए गए जीडीएस कार्मिक का स्थान, स्थानांतरण के आदेश की तारीख को, उसकी नई यूनिट में वरीयता , केवल उन मामलों को छोड़कर जब स्थानांतरण उसी नियोजन/भर्ती उप डिवीजन/यूनिट/डिवीजन में हुआ हो, सूची में मौजूद सभी जीडीएस कार्मिकों से नीचे होगा, ।"

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नई यूनिट (अर्थात् उसी नियोजन/भर्ती उप डिवीजन/यूनिट/डिवीजन के अतिरिक्त युनिट) में उक्त जीडीएस कार्मिक का स्थान वरीयता सूची में सबसे नीचे होने पर, वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत एमटीएस के रूप में नियुक्ति हेतु उसके नाम पर उसके वरिष्ठों की तुलना में उस स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा यदि उसका कोई वरिष्ठ, सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी न होने के कारण, एमटीएस के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

-हस्ताक्षरित-

(रवि पाहवा)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी/पीएपी)

टेली. नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds426@gmail.com